बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 13.02.19

संख्या–11 / फि0(स्था0)–03 / 2013– 172 (11) / भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, "बिहार फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014" (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।–(1) यह नियमावली बिहार फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. बिहार फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 के नियम 2 के खण्ड (iii) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली के नियम 2 का खण्ड (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग,"

3. बिहार फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 7 के उपनियम (2) एवं (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे:–

"**(2) सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (फिजियोथेरापिस्ट / अकुपेशनलथेरापिस्ट)** के पद पर सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

विशेषज्ञ उपसंवर्ग में भी नियुक्ति मूल कोटि (विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्टों / अकुपेशनलथेरापिस्टों के पद पर सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(3) सामान्य कर्त्तव्य उपसंवर्ग (फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट) :–

अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित आधार पर मेघासूची तैयार करेगाः–

(क)	बैचलर–इन–फिजियोथेरापी/बैचलर–इन–अकुपेशनलथेरापी कोर्स में प्राप्तांक के लिए	– 60 अंक
(ख)	उच्चतर डिग्री के लिए	– 15 अंक
(ग)	राज्य के सरकारी अस्पतालों/सरकार के अन्य विभागों में कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	– 25 अंक
		कुल 100 अंक

टिप्पणी।– बैचलर–इन–फिजियोथेरापी/बैचलर–इन–अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% × 0.6 = 30 अंक दिये जायेंगे।

(4) विशेषज्ञ उप–संवर्ग (विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट) :–

अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखत आधार पर मेघासूची तैयार करेगाः–

(क)	मास्टर्स–इन–फिजियोथेपी/मास्टर्स–इन–अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	– 60 अंक
(ख)	उच्चतर डिग्री के लिए	– 15 अंक
(ग)	राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों द्वारा कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	– 25 अंक
		कुल 100 अंक

172 (11)
13.02.19

टिप्पणी।– मास्टर्स–इन–फिजियोथेरापी/मास्टर्स–इन–अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% × 0.6 = 30 अंक दिये जायेंगे।"

4. बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 के परिशिष्ट–1 का प्रतिस्थापन।–उक्त नियमावली का परिशिष्ट–1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"परिशिष्ट–1

फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग का पद–सोपान

सामान्य कर्त्तव्य उप–संवर्ग :–

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1.	मूल कोटि	फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट	
2.	प्रथम सोपान	वरीय फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट	
3.	द्वितीय सोपान	अधीक्षण, फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट	

विशेषज्ञ उप–संवर्ग ।–

1.	मूल कोटि	विशेषज्ञ फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट	
2.	प्रथम सोपान	उपनिदेशक, फिजियोथेरापी/अकुपेशनलथेरापी	
3.	द्वितीय सोपान	अपर निदेशक, फिजियोथेरापी/अकुपेशनलथेरापी	

नोट :– उपर्युक्त सभी कोटियों के पदों का स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/2/19

सरकार के विशेष सचिव,

172 (11)
13.02.19

ज्ञापांक :– 11 / फि0(स्था0)–03 / 2013–.....172 (ii)...... पटना, दिनांक:–13.02.19

प्रतिलिपि :– उप सचिव, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,